

2. दिनांक 25 मार्च 2021 के का. आ. 1332(अ) की तालिका में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमतें इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से उपरोक्त क्र. सं. 20 में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं के लिए लागू हैं।
3. दिनांक 25 मार्च 2021 के का. आ. 1332(अ) की तालिका में क्र. सं. 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8 विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमतें इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से उपरोक्त क्र. सं. 21 में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं के लिए लागू हैं।
4. मूल आदेश दिनांक 25 मार्च, 2021 के का. आ. 1332(अ) में उल्लिखित सभी टिप्पणियां और अन्य विषय समान रहेंगे और लागू होंगे केवल टिप्पणी (क) और (ग) को छोड़कर, जो उपरोक्त क्र. सं. 20 और 21 में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं पर लागू नहीं होते हैं।

[पीएन/218/86/2021/एफ/फा. सं.8(86)/2021/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

प्रसेनजीत दास, उप निदेशक

ADDENDUM ORDER

New Delhi, the 30th April, 2021

S.O. 1726(E).—The National Pharmaceutical Pricing Authority's Order No. 1332 (E) dated 25th March 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, related to ceiling price fixation of scheduled formulation packs of I.V. fluids (non-Glass with special features) is hereby extended for the following manufacturer with the insertion of the Sl. No., Name of Manufacturers and Products/ Brand name, specified in column no. (1), (2) and (3) respectively in Table 'B' of S.O. No. 1332(E) dated 25.03.2021, as detailed below:

Sl. No.	Name of Manufacturer	Product/ Brand Name
(1)	(2)	(3)
20	M/s Abaris Healthcare Pvt. Ltd	Duo Port
21	M/s Higgs Healthcare	Aqua Drip

2. The ceiling prices specified in Table A of S.O. 1332(E) dated 25th March 2021 are applicable to the manufacturer specified in Sl. Nos. 20 above from the date of publication of this Order.
3. The ceiling prices specified in Sl. No. 1, 2, 3, 4, 5, 7 & 8 of Table A of S.O. 1332(E) dated 25th March 2021 are applicable to the manufacturer specified in Sl. Nos. 21 above from the date of publication of this Order.
4. All the notes and other contents mentioned in the original order S.O. 1332(E) dated 25th March, 2021 shall remain same and are applicable except that notes (a) and (c) are not applicable to the manufacturers specified in Sl. Nos. 20 & 21 above.

[PN/218/86/2021/F/F. No. 8(86)/2021/D.P./NPPA-Div.-II]

PRASENJIT DAS, Dy. Director

परिशिष्ट आदेश

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2021

का.आ. 1727(अ).—भारत के असाधारण, राजपत्र में प्रकाशित, दिनांक 25 मार्च 2021 के राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश सं 1333 (अ), जोकि विशेष सुविधाओं वाले पैक में रिंगर लैक्टेट इंजेक्शन के अनुसूचित फॉर्म्युलेशन पैक्स के अधिकतम मूल्य निर्धारण से संबंधित है, एतद द्वारा आदेश सं 1333 (अ), दिनांक 25 मार्च 2021 के तालिका, 'बी' में क्रमशः स्तंभ संख्या (1) और (2) में क्र. सं और विनिर्माताओं का नाम शामिल करके एतद्वारा निम्नलिखित विनिर्माताओं के लिये भी बढ़ा दिया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है: